

101

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 708/2007

संस्थित दिनांक-07/11/2007

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद,

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

## विरुद्ध

निर्णीत.

निर्णीत.

निर्णीत.

निर्णीत.

मृत

मृत

1. गंगाराम पुत्र गब्बर सिंह गोले उम्र 42 साल  
निवासी नाउपुरा,थाना नूराबाद जिला मुरैना म0प्र0
2. मेवाराम पुत्र पुन्नीलाल जाटव उम्र 48साल निवासी  
डांग नरुआ थाना मौ,
3. रामचन्द्र पुत्र सोबरन सिंह कुशवाह उम्र .....निवासी-  
छीमका,थाना गोहद चौराहा,जिला भिण्ड म0प्र0
4. कल्लू उर्फ ब्रजमोहन पुत्र महेश सिंह तोमर उम्र 28साल  
निवासी छीमका,थाना गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म0प्र0
5. प्रदीप पुत्र मुरारीलाल दुबे उम्र 20 साल निवासी  
डगर थाना बरासो,जिला भिण्ड म0प्र0
6. अहिवरनसिंह पुत्र रघुवीर सिंह राजपूत निवासी कौध की  
मढैया,थाना रौन,जिला भिण्ड
7. पप्पू पुत्र महेश पुत्र महेश सिंह तोमर निवासी छीमका  
थाना गोहद चोराहा,जिला भिण्ड म0प्र0 .....अभियुक्तगण

--- निर्णय ---

{आज दिनांक 29.04.2017. को घोषित}

अभियुक्त गंगाराम पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 225/34 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 07/09/2007 को जब उसे विशेष न्यायालय -डकैती भिण्ड के यहां से पेशी उपरांत गोहद लाया जा रहा था तो उसने अन्य आरोपीगण के साथ अभियुक्त पप्पू उर्फ महेश को अभिरक्षा से छुड़ाने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रशरण में अभियुक्त पप्पू उर्फ महेश को अभिरक्षा से छुड़ाया ।

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0



2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण मेवाराम, रामचन्द्र, तथा कल्लू उर्फ ब्रजमोहन के संबंध में दिनांक 01/12/15 एवं अभियुक्त प्रदीप के संबंध में दिनांक 23.07.2016 को निर्णय घोषित किया जा चुका है। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त गंगाराम के संबंध में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 07/09/07 को थाना मेहगांव के नगर निरीक्षक इन्द्रजीत सिंह को वायरलेस पर सूचना मिली कि मिण्ड न्यायालय से पेशी के बाद अभियुक्त पप्पू उर्फ महेश तोमर को पुलिस अभिरक्षा में मिण्ड से गोहद जेल ले जाया जा रहा था जो रास्ते में ग्राम गिगरखी के पास पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला है तब उक्त सूचना से ग्राम गिगरखी के पास पुलिस मय स्टाफ के पहुंची और तलाश की किन्तु उसका कुछ पता नहीं चला। अनुसंधान में आरक्षक अहिवरन सिंह क्र.995 एवं आरक्षक मेवाराम क्र.404 के कथन लिये गये जिनमें उनके द्वारा डम्पर से गोहद जेल ले जाते समय गिगरखी गांव के पास चार अज्ञात लोगों द्वारा डम्पर रूकवाकर अभियुक्त पप्पू को अभिरक्षा से छीनकर भगा ले जाने का कथन किया गया। इसके बाद हरेन्द्र, प्र.0आर.0 रमाकांत शुक्ला, थाना गोहद चौराहा के थाना प्रमारी अशोक पवार, गंगाराम गोले, के कथन लिये जाने पर ज्ञात हुआ कि घटना दिनांक को मिण्ड न्यायालय में उसकी पेशी कराई गई ओर शाम साढ़े 5:00 बजे अदालत के बाहर लाये। वहां पर गेट के सामने बुलेरो एम.पी.30.बी.एफ.0115 के चालक हरेन्द्र गाडी खडी करें मिला था। उक्त गाडी में गंगाराम गोले, कल्लू तोमर व प्रदीप शर्मा व तीन अन्य लोगे बैठे थे उसी बुलेरो में आरक्षक अहिवरन चालक के बगल में तथा आरक्षक मेवाराम, पप्पू उर्फ महेश, गंगाराम तथा कल्लू तोमर के साथ पीछे की सीट पर, तथा प्रदीप शर्मा तथा तीन अज्ञात व्यक्ति सबसे पीछे की सीट पर बैठकर मिण्ड से गोहद जेल के लिये रवाना हुये थे। गिगरखी गांव के पास पप्पू तोमर ने चालक को धमकी देकर बुलेरो को धमसा गांव की ओर ले गया। धमसा गांव के आगे ले गये और गाडी रूकवाकर पप्पू, प्रदीप शर्मा, कल्लू तोमर एवं गंगाराम गोली ने पप्पू की हथकडी सिपाहियों से खुलवाई और वे लोग गाडी तथा चालक हरेन्द्र को छोडकर भाग गये। हरेन्द्र अपनी बुलेरो लेकर गोहद चौराहा पहुंचा और पूरी घटना मालिक तिलक सिंह को बताई। उक्त से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध की प्राथमिकी 154/07 पर पंजीबद्ध कर कथन लेखबद्ध किये गये। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र. 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन निर्दोष होने तथा झूठा फसाये जाने का कथन किया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

23/09/2017  
आधिकारिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
मेहगांव जिला मिण्ड 400/07



122


1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 07/09/2009 को जब उसे विशेष न्यायालय -डकैती मिण्ड के यहां से पेशी उपरांत गोहद लाया जा रहा था तो उसने अन्य आरोपीगण के साथ अभियुक्त पप्पू उर्फ महेश को अभिरक्षा से छुड़ाने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रशरण में अभियुक्त पप्पू उर्फ महेश को अभिरक्षा से छुड़ाया ?

**--: सकारण निष्कर्ष :-**

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में पारथ सिंह अ0सा0 1, इन्द्रजीत सिंह अ0सा0 2, हरेन्द्र अ0सा0 3, रमाकांत अ0सा0 4, आशीष पंवार अ0सा0 5, आर0बी0एस0यादव अ0सा0 6, मुन्नीलाल मौर्य अ0सा0 7, को परीक्षित कराया गया है ।

7. प्रकरण में प्राथमिकीकर्ता इन्द्रजीतसिंह अ0सा0 2 ने जो अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि उन्हें दिनांक 07.09.07 को वायरलैस पर सूचना मिली कि मिण्ड न्यायालय से पेशी के बाद अभियुक्त पप्पू उर्फ महेश को पुलिस गोहद जेल ले जा रही थी तभी गिंगरखी गांव के पास पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। उसके द्वारा अभियुक्त पप्पू, कल्लू, गंगाराम, आरक्षक 404 अहवरन एवं आरक्षक 995 मेवाराम व तीन अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया था। इन्द्रजीत सहि अ0सा0 2 घटना के साक्षी नहीं है बल्कि उनके द्वारा अभिकथित सूचना वायरलैस सैट पर प्राप्त होना बतायी गयी है। कंडिका 2 में यह साक्षी कथन करते हैं कि उक्त वायरलैस मेसेज उन्होंने अपने कानो से नहीं सुना था। साक्षी यह भी स्वीकार करता है कि वायरलैस ऑपरेटर ने उन्हें कोई लिखित मेसेज की सूचना के संबध में नहीं दिया गया। साक्षी यह कथन करता है कि उन्हें सूचना 07.09.2007 को रात्रि 9 बज कर 15 मिनट पर प्राप्त हुई थी किन्तु उन्होंने उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट रात 2:55 बजे लेख की थी। साक्षी जो कि सूचना मिलने पर प्रथम दृष्टया जांच करना बताते हैं वे प्रतिपरीक्षण की कंडिका 3 में यह बताने में असमर्थ हैं कि उन्होंने किन-किन लोगों के कथन लिये थे। साक्षी यह कथन करते हैं कि कथित जांच संबधित कोई जस्तावेज अभियुक्त पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में इस साक्षी की अभिसाक्ष्य सर्वप्रथम तो चक्षुदर्शी साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है द्वितीयतः इस साक्षी के द्वारा अभिकथित जांच उपरांत अपराध पंजीबद्ध करना बताया है जबकि कथित जांच संबधी कोई दस्तावेज स्वयं अभियोग पत्र में संलग्न न होना स्वीकार किया। ऐसे में इस साक्षी की साक्ष्य का पुष्टि के अभाव में दोष सिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

8. प्रकरण में अन्य साक्षी पारथसिंह गुर्जर अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि वे अभियुक्त मेवाराम और अहवरन को जानते हैं। घटना उनके साक्ष्य दिनांक 27.04.2012 के 4-5 वर्ष पूर्व रात्रि के 8 बजे की होना बताते हैं और यह कथन करते हैं कि उक्त दोनों अभियुक्तगण उसके मकान पर आए और वे चड्डी बनियान पहने हुए थे, दोनों ही आरोपी घबराए हुए थे। उसने थाने पर फोन किया तो पुलिस कोतवाली उसके गांव पालिया पहुंच गए थे और आरोपीगण को बैठाकर ले गए थे। इसके



न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
मेरठ जिला मिण्ड थाना



अलावा और कोई जानकारी न होना बताता है। इस साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्नों में अभियुक्त पप्पू उर्फ महेश कैदी को ग्राम गिंगरखी के पास बुलैरो में बैठे 4-5 लोगों द्वारा डम्पर रूकवाकर कट्टा दिखाकर बिठाकर पालिया गांव के पास उतार देने की बात बताए जाने से इंकार किया है।

9. प्रकरण में अभियोजन मामले के अनुसार अन्य साक्षियों की साक्ष्य में अभियुक्त गंगाराम के संबंध में सर्वोत्तम साक्षी हरेन्द्र अ०सा० 3 था जिसके कथन के अनुसार अभियुक्त गंगाराम उसकी बुलैरो कार को किराये से लेकर उसमें निमंत्रण खने की बात कहकर बैठकर गया था और मिण्ड न्यायालय से पेशी उपरांत अभियुक्त पप्पू उर्फ महेश को मय आरक्षक अहवरन एवं मेवाराम तथा अन्य लोगों के साथ बिठा लिया था और गिंगरखी के पास कट्टा पप्पू उर्फ महेश को देकर पुलिस वालों को कट्टा अडाकर अभियुक्त पप्पू उर्फ महेश के फरार होने में सहायता प्रदान की थी। उक्त साक्षी हरेन्द्र अ०सा० 3 द्वारा उपरोक्त तथ्यों को पुलिस को लिखाए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है और सूचक प्रश्नों में भी ऐसे कथन की ओर ध्यान दिलाए जाने पर भारतीय साक्ष्य अधि० 1872 की धारा 145 के अधीन इंकार किया है। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता आर०बी०एस० यादव या अन्य के द्वारा अभियुक्त गंगाराम की शिनाख्त कार्यवाही अभियोजन के किसी भी साक्षी से कराई गयी हो यह तथ्य भी अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध संबंधित अपराध में उसके लिप्त होने के संबंध में कोई भी सारवान साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं।

10. प्रकरण अन्य साक्षी आशीष पवार आ०सा० 5 है जो अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 07.09.2007 को वे थाना गोहद चौराह में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। उन्हें उक्त दिनांक शाम को 7:45 बजे तत्कालीन उपाध्यक्ष मण्डी गोहद तिलकसिंह गुर्जर ने थाने पर उपस्थित होकर बताया था कि सुबह 11-12 बजे गोहद चौराह का गंगाराम एवं छीमका का कल्लू तोमर, कल्लू की रिश्तेदारी में गमी (मृत्यु) होने का बहाना बनाकर उसकी बोलेरो कृ० एम०पी० 30 वी०सी० 0115 मांगने आये थे तो अपने चालक हरेन्द्र के साथ भेज दी थी। शाम करीब 7:30 बजे गंगाराम और हरेन्द्र उसकी गाडी लेकर लोटे, तो उन्होंने बताया कि कल्लू गाडी लेकर मिण्ड न्यायालय गया था जहां पेशी पर आये हत्या के आरोपी उसके पिता पप्पू उर्फ महेश तोमर तथा दो पुलिस बाले गाडी में बैठे और गिंगरखी तक वापस आये। रास्ते में पप्पू और कल्लू बगैरा द्वारा कट्टा दिखाकर गाडी घमसा तरफ ले गये पालिया गांव के पास पप्पू, कल्लू व उसके साक्षी दोनो पुलिस वाले गाडी से उतर गये तथा खेतों में चले गये, उनमें से एक लडके ने हरेन्द्र से कहा कि तुम चुपचाप घर चले जाओ। इस प्रकार से साक्षी आशीष पवार आ०सा० 5 अभिकथित जानकारी उससे तिलक सिंह से दिनांक 07.09.2007 को शाम करीब 7:45 बजे मिलना बतायी गयी है किन्तु प्रतिपरीक्षण कंडिका 2 में यह बताता है कि उन्होंने सूचना मिलने पर कोई अपराध पंजीवद्ध नहीं किया। यह भी स्वीकार करते हैं कि कोई

  
 गांधी मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
 गंगरखी जिला मजिस्ट्रेट




103

अपराध की सूचना मिलती है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है। साक्षी इसका स्पष्टीकरण देता है कि अस्पष्ट सूचना होने पर जांच उपरांत स्पष्ट होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती किन्तु साक्षी यह स्वीकार करता है कि उसके द्वारा कोई जांच नहीं की गयी। साक्षी उक्त सूचना के आधार पर कोई रोजनामचा सान्हा दर्ज किया या नहीं इसके संबंध में जानकारी का अभाव व्यक्त करते हैं।

11. प्रकरण में आशीष पवार आ०सा० 5 अभियोजन के साक्षी है जिन्हें अभियुक्त गंगाराम के संबंध में किये गये कथन को पक्ष द्रोही भी घोषित नहीं किया गया है ऐसे में इस साक्षी का अभिसाक्ष्य अभियोजन पर बाध्यकारी प्रभाव रखता है। प्रकरण में आशीष पवार आ०सा० 5 के द्वारा बताये गये तथ्य तिलक सिंह से प्राप्त जानकारी के आधार पर बताये गये हैं जबकि अनुसंधान कर्ता आर०बी०एस ० यादव आ०सा० 6 अपने परीक्षण में साक्षी पारस सिंह, रमाकांत शुक्ला प्र० आ०, आशीष पवार थाना प्रमारी गोहद तथा हरेन्द्र सिंह गुर्जर के कथन लेखबद्ध करना बताते हैं। साक्षी द्वारा कथित तिलक सिंह जिससे अभियुक्त गंगाराम एवं कल्लू के द्वारा अभिकथित वाहन बोलेरो ले जाना बतायी गयी है उसका कोई भी कथन न कराया जाना अभियोजन के मामले को दुर्बल करता है। साक्षी मुन्नीलाल आ०सा० 7, रमाकांत शुक्ला आ०सा० 4 के कथनों में अभियुक्त गंगाराम के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। ऐसे में जहां अभियोजन का मामला अभियुक्त गंगाराम के द्वारा बंदी पप्पू उर्फ महेश को छोड़ा जाने में अथवा निकल भागने में सहयोग करने का है वहीं उसके विपरीत यदि अभियुक्त द्वारा उक्त बंदी को भागने में सहयोग किया गया होता तो स्वयं आशीष पवार आ०सा० 5 कथन अनुसार वह वाहन चालक हरेन्द्र के साथ वापस न आता। ऐसे में अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

12. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। "सत्य हो सकता है" और "सत्य होना चाहिए" के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 07.09.07 को अन्य सह अभियुक्तगण के साथ अभियुक्त पप्पू उर्फ महेश को अभिरक्षा से छुड़ाने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रशरण में अभियुक्त पप्पू उर्फ महेश को अभिरक्षा से छुड़ा लिया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 225/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

  
राज्यिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
जिला सिविल कोर्ट




13. अभियुक्त की प्रतिभूति उन्मुक्त की जाती है। अभियुक्त का बंधपत्र उसके निवेदन पर द0प्र0स0 की धारा 437 ए के अधीन निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।
14. जब्तसुदा संपत्ति वाहन बोलेरो कृ० एम०पी० 30 वी०सी० 0115 सुर्पदगीदार के सुर्पदगी में है। अतः सुर्पदगीनामा उसके पक्ष में निरस्त समझा जाये। अन्य जप्तसुदा संपत्ति हथकड़ी पुलिस विभाग की संपत्ति होने से अपील अवधि पश्चात विधिवित निराकरण हेतु पुलिस अधीक्षक मिण्ड को भेजी जाये। अपील की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।
15. अभियुक्त की निरोधावधि, यदि हो तो, धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।


निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।


हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।



  
 ए०के० गुप्ता  
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
 गोहद, जिला मिण्ड मध्यप्रदेश

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
 गोहद जिला मिण्ड मध्यप्रदेश

  
 ए०के० गुप्ता  
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
 गोहद, जिला मिण्ड मध्यप्रदेश  
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी